न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 162/2019 (2019/00223)

1. सत्यनारायण पुत्र जयकिशन बैरवा निवासी सवाईपुरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

---वादी

◆ बनाम ◆

1. नूतन चोटिया पुत्र रमाकान्त चोटिया जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम प्रान्हेड़ा तहसील केकड़ी
2. ग्राम पंचायत प्रान्हेड़ा जरिये सरपंच ,ग्राम पंचायत प्रान्हेड़ा ,तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. ग्राम पंचायत प्रान्हेड़ा जरिये सचिव , ग्राम पंचायत प्रान्हेड़ा तह.केकड़ीजिला अजमेर
4. श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति केकड़ी जिला अजमेर
5. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर

--- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188,209 राज.काश्तकारी अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक 10.12.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 , 209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया ,कि ग्राम प्रान्हेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2069–72 की खाता स. नया–पुराना 289–901 खसरा नम्बर 901,902,903,904,रकबा क्रमश : 1.10,0.03,0.06,1.07 किस्म क्रमशः बारानी 2, गै0मु0पाल, गै.मु. टीबा, बारानी 2 वादी के दर्ज खातेदार है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादी कब्जे ,काश्त , व खातेदारी की आराजीयात है। जिसमें वादी का 1/15 हिस्सा है। तथा साथ ही साथ वादी के सह खातेदार का भी अपना–अपना हिस्सा जमाबन्दी के अनुसार है उसी अनुसार वादी व अन्य खातेदार अपनी आराजीयात के कब्जे काश्त व खातेदारी में चले आ रहे है। प्रतिवादी स. 1 की नियत खराब है। ग्राम रणजीपुरा से सवाईपुरा जो रास्ता जाता है, तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी इस संबंध में इन्द्राजात स्पष्ट है, किन्तु उक्त वर्णित रास्ते में भी इस संबंध में प्रभावशाली व्यक्तियों ने कुछ स्थानों पर कब्जे कर रखे है। , जो कि प्रतिवादी स. 1 के व्यक्तिगत रूप से घनिष्ठ है। इस कारण जो राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उसके विपरित वादी के खेत में जबरन रास्ता बनाना चाहता है। प्रतिवादी स. 1 द्वारा अपनी इसी अवैध कार्यवाही के मध्य नजर नक्शे की स्थिति के विपरित दिनांक 1.6.19 से रास्ता का कार्य शुरू कर दिया । वादी ने निवेदन किया कि मेरी आराजी में से रास्ता कैसे निकाल सकते हो तो वो बोले कि हमारी इच्छा होगी वही से रास्ता निकालेंगें।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावें व वाद की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी जारी की जावें कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वे वादी की खातेदारी खेतों में किसी प्रकार का नुकसान न करते हुये न मिटटी उठवाये व न डाले । वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। आज प्रशासन गांवों के संग शिविर प्रान्हेड़ा में पत्रावली प्रस्तुत की गई । वादी व प्रतिवादी स. 2,3 ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्तमान में खसरा नम्बर 879,880,6137/1107, में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्रेवल सडक निर्माण कर रखी है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 901, 902, 903, 904 में पूर्व मे डाली गयी मिटटी से कोई लेना देना नहीं है। कोई वास्ता नहीं है।

पक्षकारान उपस्थित हुये। पक्षकारान की बहस सुनी गई । पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया । वादी वादग्रस्त आराजी का संयुक्त खातेदार काश्तकार है प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 का इस आराजी का कोई लेना नहीं है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण स. 1 – 5 को मय उनके ऐजेन्ट , रिश्तेदारान, नौकर आदि को न्यायालय की स्थाई निषेधाज्ञा से सदैव के लिये पाबन्द किया जाता है कि वे ऐसा कोई कार्य न करे जिससे वादी की संयुक्त खातेदारी के खेतों में किसी प्रकार की मिटटी खोदे , उठाये , डाले या ऐसा कोई कार्य करें जिससे वादी को संयुक्त खातेदारी के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो तथा वह आराजी से बेदखल हों। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय मजमें आम प्रान्हेड़ा केम्प प्रशासन गांवों के संग 2021 में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)

उपखण्ड अधिकारी

केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:44:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी:– विकास पंचोली (आर.ए.एस)

उनवान

सत्यनारायण पुत्र जयकिशन बैरवा निवासी सवाईपुरा तहसील केकडी जिला अजमेर।
---वादी

♠ बनाम ♠

1. नूतन चोटिया पुत्र रमाकान्त चोटिया जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकडी
2. ग्राम पंचायत प्रांन्हेडा जरिये संरपच ,ग्राम पंचायत प्रान्हेडा ,तहसील केकडी जिला अजमेर
3. ग्राम पंचायत प्रान्हेडा जरिये सचिव , ग्राम पंचायत प्रान्हेडा तह.केकडीजिला अजमेर
4. श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति केकडी जिला अजमेर
5. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर

--- प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 188, 209 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 162/2019 (2019/00223)

निर्णय दिनांकः– 10.12.2021

ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2069–72 की खाता स. नया–पुराना 289–901 खसरा नम्बर 901, 902, 903, 904,रकबा कमश : 1.10, 0.03, 0.06, 1.07 किस्म कमशः बारानी 2, गै0मु0पाल, गै.मु.टीबा, बारानी 2 वादग्रस्त आराजी का संयुक्त खातेदार काश्तकार है प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 का इस आराजी का कोई लेना नहीं है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण स. 1–5 को मय उनके ऐजेन्ट , रिश्तेदारान, नौकर आदि को न्यायालय की स्थाई निषेधाज्ञा से सदैव के लिये पाबन्द किया जाता है कि वे ऐसा कोई कार्य न करे जिससे वादी की संयुक्त खातेदारी के खेतों में किसी प्रकार की मिटटी खोदे , उठाये , डाले या ऐसा कोई कार्य करें जिससे वादी को संयुक्त खातेदारी के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो तथा वह आराजी से बैदखल हों। इस आशय का डिकी पर्चा जारी किया गया। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी केकडी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर--

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:44:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner